न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 47/2017

1. श्री शंकर लाल पुत्र स्व0 श्री धूकल जाति रेगर निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमति शांति देवी पत्नि श्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील व जिला अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर तहसील व जिला अजमेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम 956

आदेश दिनांक 25.11.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि कि जिसके चौसाला खसरा नंबर 781 रकबा 125–01–00 कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 881 रकबा 125–01–00 कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 881 रकबा 125–01–00 के वर्तमान खसरा नंबर 3127 मिन रकबा 20.12 हैक्टर बने है। वर्तमान खसरा नंबर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टर किस्म नाडी एवं वर्तमान खसरा नंबर 3131/5506 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म पाल जो कि वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत अंकित की गई जब कि वर्किंग खसरा नंबर 2023 रकबा 0–10–0 के वर्तमान खसरा नंबर 3131 किस्म पाल है, इसी प्रकार चर्किंग खसरा नंबर 2024 रकबा 1–13–10 कि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 3133 किस्म नाडी है वर्तमान जमाबंदी में भी यही अंकित किया गया है जब कि वर्तमान खसरा नंबर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टर को नाडी एवं वर्तमान खसरा नंबर 3131/5506 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म पाल कि जिसे वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत रूप से नाड़ी व पाल दर्शाई गई जब कि वर्तमान खसरा नम्बर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं वर्तमान खसरा नंबर 3131/5506 रकबा 0.08 हैक्टयर को वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत रूप से नाडी व पाल अंकित कर दी गई जब कि वर्किंग राजस्व नक्शा सन्1970–1971 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टयर की भूमि जो कि आबादी की भूमि है जो कि चौसाला खसरा नंबर 781 वर्किंग खसरा नंबर 881 का ही भाग है एवं वर्तमान खसरा नंबर 3127 का ही

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

भाग है इस कारण वर्किंग राजस्व नक्शा सन 1970–1971 के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सन 1982–1983 में इन्द्राज दुरूस्ती वाछित है। वर्तमान राजस्व नक्शा सन 1982–1983 में वर्किंग खसरा नंबर 2023 का वर्तमान खसरा नंबर 3131 को पाल दशाई गई है जो कि सही है एवं वर्किंग खसरा नंबर 2024 के वर्तमान खसरानंबर 3133 कि जिसे वर्तमान राजस्व नक्शे में नाडी दर्शाई गई वह सही है जब कि राजस्व नक्शा सन 1970–1971 के अनुसार भी सही है। चौसाला खसरा नंबर 781 जो कि ग्राम नारेली तहसील अजमेर की आबादी की भूमि है एवं सम्पूर्ण ग्राम नारेली बसा हुआ है कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 881 बने है जो कि ग्राम पंचायत नारेली की आबादी की भूमि है। आवेदनकर्त्ता के द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्ती के बाबत आवेदन पत्र राजस्व केम्प प्रभारी अधिकारी राजस्व केम्प नारेली के समक्ष आवेदन दिनांक 19.6.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी से आवेदन पत्र में दर्शाये तथ्यों के संदर्भ में जाच रिपोर्ट तलब की गई कि जिसकमे अनुसार पटवारी हल्का नारेली के द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 4.8.2017 के अनुसार खसरा नंबर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टयर को मौके पर नाडी नही होना एवं खसरा नबर 3131/5506 रकबा 0.08 हैक्टयर जो कि मौके पर पाल नही होना अंकित किया गया है । चौसाला खसरा नंबर 781 के वर्किंग खसरा नंबर 861 के वर्तमान खसरा नंबर 3127 की ही भाग वर्तमान खसरा नंबर 3133/5481 जो कि आबादी भूमि का भाग है एवं 3131/5506 जो कि आबादी भूमि का ही भाग है एवं पगदडी रास्ता के उपयोग में ली जाती रही है। ग्राम पंचायत नारेली द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 781 जो कि ग्राम पंचायत नारेली की आबादी की भूमि है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत नारेली के द्वारा खसरा नंबर 781 का एक भाग भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 400.00 वर्गगज का भूमि कि जिसकी चारो सीमाये पूर्व में राजकीय आयुर्वेदक अस्पताल नारेली पश्चिम में भूडोल की ओर जाने वाला रास्ता, उत्तर में ग्राम पंचायत की पडत भूमि दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। विक्रय विलेख पट्टा संख्या 2 जो कि श्री काना पुत्र श्री श्योराम जाति गुर्जर तंवर निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर को दिनांक 15.2.7976 को जारी किया गया। काना पुत्र श्योराम के स्वर्गवास के बाद उनक वारिसा सादूल एवं छोटू पुत्रगण श्री काना जाति गुर्जर के द्वारा इस पेरा में दर्शाय भूखण्ड कि जिसका नाप 60 बाई 60 फुट कि जिसे जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2004 को जिसका पंजीयत दिनांक 18.10.2004 के अनुसार आवेदनकर्त्तागण से प्रतिफल राशि प्राप्त कर आवेदनकर्तागण को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया । उक्त आवासीय भूखण्ड सम्पत्ति के संदर्भ में न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश अजमेर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 81/2004 शंकर लाल व शांति देवी बनाम सरकार जरिये कलेकटर अजमेर व अन्य दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया कि जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 8.10.2012 के अनुसार आवेदनकर्तागण का वाद स्वीकार किया गया । अतः आवेदकर्त्तागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्किंग खसरा नंबर 881 का

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

ही भाग वर्तमान खसरा नंबर 3133/5481 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं वर्तमान खसरा नंबर 3131/5506 को राजस्व नक्शा सन्1970–1971 के अनुमूल वर्तमान राजस्व नक्शे आबादी की दुरूस्ती करवाई जावे एवं वर्तमान जमाबंदी में भी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर ग्राम पंचायत नारेली की आबादी की दुरूस्ती करवाई जावे।

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि भूमि की किस्म परिवर्तन प्रार्थना पत्र के माध्यम से नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से क्रयशुद्वा प्लाट को विवादित भूमि में फिट करने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि आबादी भूमि से सम्बन्धित वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार एवं प्राधिकरण के स्वत्व को नष्ट करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत मुख्य रूप से किस्म को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । जबकि किस्म की दुरूस्ती किये जाने का प्रावधाना धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विघमान करते है। जिसके सबंघ में हक अधिकार का निर्धारण केवल नियमित राजस्व वाद के तहत ही किया जाना सम्भव है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रार्थीगण इस सबंध में समक्ष न्यायालय में राजस्व वाद के माध्यम से ही यह अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वत्रंत है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.06 15:33:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: